

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10122025-268400
SG-DL-E-10122025-268400

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 374
No. 386] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947 [N. C. T. D. No. 374

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय
(निजी विद्यालय शाखा)
अधिसूचना

दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

फा. सं. डी. ई015 / (281) / अधि.-I / 2013 / पार्ट फाइल-I/9507-9515.—दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की तिथि को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिससे पूर्वोक्त अधिनियम लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पांडुरंग के. पोले, सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION**(Private School Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 9th December, 2025

F. No. DE.15(281)/Act-I/2013/Pt.File-I/9507-9515.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 1 of the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 (Act No. 4 of 2025), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, appoints the date on which this notification published in the official gazette, the aforesaid Act shall come into force.

By Order and in The Name of Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,
PANDURANG K. POLE, Secy. (Education)